

पश्चिम मध्य रेलवे

सं. WCR/P-WRS/पुनः नियु. / से. नि. / 947

कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
मालडिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा
दिनांक- 17.03.2017

सर्वसम्बंधित

माल डिब्बा मरम्मत कारखाना - कोटा

विषय :- सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों को दैनिक वेतन के आधार पर रेल सेवा में पुनःपुनर्नियोजन करने हेतु।

संदर्भ :-1 रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई(एनजी/ 11)2010-आरसी4/6 दिनांक 07.10.2016
और 27.09.20122 महाप्रबंधक कार्मिक पमरे जबलपुर का पत्र सं. पमरे/का.मुख्या/रूलिंग सेवा
निवृत्त कर्मचारी पुनर्नियोजन दिनांक 05.01.2017 एवं 18.01.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों को दैनिक वेतन के आधार पर रेल सेवा में पुनर्नियोजित करने हेतु रेलवे बोर्ड के संलग्न पत्रों में दिये गये दिशा निर्देशानुसार उचित है।

1. सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों को पुनर्नियोजित करने के आवेदन विभिन्न कोटियों में स्वीकार किये जायेंगे तथा पुनः कोई नोटिस दिये पुनः नियुक्ति का प्रावधान समाप्त करने का अधिकार प्रशासन के पास होगा।
2. कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति से 3 माह पूर्व भी उक्त अधिसूचना के विरुद्ध आवेदन कर सकेंगे दिनांक 14.09.2017 तक सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी पात्रित होंगे।
3. पुनर्नियोजन हेतु अधिकतम उम्र 62 वर्ष होगी।
4. पुनर्नियुक्ति उपरान्त दैनिक वेतन रक्षीकृति की तारीख से प्रामावी होगा जिसकी दर निम्नानुसार होगी।

1 वेतनमान रु 5200-20200+1800 ग्रेड पे के पद =	300/-रु प्रति दिन
2 वेतनमान रु 5200-20200+1900/2000/2400 व 2800 ग्रेड पे के पद =	रु 320/-प्रति दिन
3 वेतनमान रु 9300-34800+4200 ग्रेड पे के पद =	रु 550/- प्रति दिन
4 वेतनमान रु 9300-34800+4600 ग्रेड पे के पद =	रु 565/- प्रति दिन

प्रत्येक प्रकरण में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दैनिक भत्ता + पूर्ण पेंशन अन्तिम प्राप्त पेंशन से अधिक ना हो।

सेफ्टी रिलेटेड रिटायर्डमेंट स्कीम / लिबरलाईज एक्टिव रिटायमेंट स्कीम के तहत सेवा निवृत्त कर्मचारी पुनर्नियोजन के लिए पात्र नहीं होंगे।

5 पुनर्नियोजन हेतु चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सा जाँच हेतु भेजा जायेगा, तथा चयनित उम्मीदवारों की साक्षत्कार करने से पूर्व संरक्षा बाधक उचित मापदण्डों/योग्यता की जाँच की जायेगी

OIC लाइ लाल
18/3/2017

रेलवे भर्ती बोर्ड से उपयुक्त अभ्यर्थी मिलने पर पुनर्नियोजित कर्मचारी की सेवा तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

अपनाई जाने वाली प्रक्रिया


1 सम्बंधित शाखा अधिकारी द्वारा अधिकतम संख्या जो कि पुनर्नियोजित की जानी है, निर्धारित करेगा तथा इस पर वित्त विभाग की समीक्षा उपरान्त मुख्य कारखाना प्रबंधक का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। सम्बंधित कारखाना में संदर्भ विरोध की स्वीकृत संख्या, नियमित एवं पुनर्नियोजित कर्मचारियों को जोड़ कर उससे अधिक नहीं होगी।

2 मुख्य कारखाना प्रबंधक महोदय द्वारा नामित कार्मिक अधिकारी तथा सम्बंधित विभाग के कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों को रेलवे बोर्ड द्वारा उल्लेखित मापदण्डों के आधार पर जाँच कर उप मु. यों इंजी को प्रस्तुत किया जायेगा तथा सम्बंधित उप मु. यों इंजी की अनुशंसा पर मुख्य कारखाना प्रबंधक महोदय के उपरान्त सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पुनर्नियोजित सम्बंधित निर्णय लिया जायेगा जैसा कि रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों में है।

3 माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा पर सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों को उनके पूर्व अनुभाग पर ही पुनर्नियोजित करने हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

विशेष- रेलवे बोर्ड के पत्र सं. - E(NG)II/2010/RC-4/6 Dt-27-09-2012(RBE No- 109/2012) में दिये गये मार्ग दर्शन एवं दिशा निर्देशों में कडाई से पालन करना भी सुनिश्चित करें।

संलग्न :- 5 पेज


वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी(का)कोटा

प्रति :- मुख्य यंत्रिक इंजी, जबलपुर को सूचनार्थ।
मुख्य कार्मिक अधिकारी, जबलपुर को सूचनार्थ
वे.से.रे.एम्प.यूनियन, वे.से.रे.म.संघ, एससी/एसटी एसो., ओबीसी एसो.कारखाना कोटा

OIC

जादू लाल

18/3/2017

(10)

W.C.R.

सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों को दैनिक वेतन के आधार पर रेल सेवा में निम्नलिखित पदों को पुनर्नियोजित किया जाना है:-

क्र.सं.	कैटेगरी	पद संख्या
1.	एसएसई	02
2.	मेन्टर	05
3.	वैल्डर	10
4.	व्हीकल ड्राईवर	02
5.	ईओटी केन ड्राईवर	02
6.	तकनी लीफिटिंग	05
7.	शटिंग स्टॉफ	05

ml